संख्या : बी–1–4457/दस–2007–16/97

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1

लखनऊ : दिनाँक : 19 नवम्बर, 2007

विषय : विभिन्न निगमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त महानुभावों को मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–बी–1–3990/दस–2007–16/97 दिनाँक 09 अक्टूबर, 2007 द्वारा विभिन्न निगमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त महानुभावों को मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें दिये जाने के संबंध में जारी किये गये आदेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त शासनादेश को तात्कालिक प्रभाव से निम्नांकित तालिका के कालम–3 के अनुसार एवं इस सीमा तक संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है –

वेतन/मानदेय/भत्ते एवं विभिन्न सुविधायें	वित्त विभाग के शासनादेश दिनाँक 09 अक्टूबर, 2007 के अनुसार	संशोधित व्यवस्था
1	2	3
अध्यक्ष को नियत वेतन/मानदेय	रुपये 35,000/– प्रतिमाह नियत वेतन/मानदेय	रुपये 40,000/– प्रतिमाह नियत वेतन/ मानदेय
आवासीय सुविधा	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को किराया मुक्त सरकारी आवास की सुविधा अनुमन्य होगी तथा सरकारी आवास उपलब्ध न होने या उसका उपभोग न करने की स्थिति में उन्हें सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में समय–समय पर नियत की गयी दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा ।	गैर सरकारी उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होगी किन्तु दौरे के समय सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा अनुमन्य होगी ।
वाहन	अध्यक्ष को सरकारी वाहन की सुविधा उपलब्ध होगी तथा उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यालय आने जाने के लिये निजी वाहन का उपयोग किये जाने की स्थिति में 200 लीटर ईंधन के मूल्य के बराबर मासिक समेकित वाहन भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्यों को अनुमन्य है अथवा समय– समय पर अनुमन्य किया जाय ।	गैर सरकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को एक सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य होगी । गैर सरकारी सदस्यों को सरकारी वाहन / वाहन भत्ते की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।
यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों को निम्नानुसार यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा –	गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को

(1) कोई महानुभाव, जो इस रूप में अपनी नियुक्ति के दिनाँक को, सरकारी सेवा में थे, अपनी नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गयी यात्रा के लिए फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड तीन एवं सुसंगत आदेशों में स्थानान्तरण पर की गयी किसी यात्रा के लिए दी गयी दरों पर और शर्तों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे ।

(2) किसी महानुभाव, जो इस रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व सरकारी सेवा या किसी निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हों, को अपनी नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने के लिये की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

(3) ड्यूटी पर यात्रा करने पर कोई महानुभाव ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे जैसी फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड तीन एवं सुसंगत आदेशों में सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में विहित की गयी है ।

(4) किसी महानुभाव को अपना कार्यभार छोड़ने पर उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा, जो सरकारी अधिकारी पर, उसकी सेवा निवृत्ति पर अपने गृह नगर जाने के लिए या उस स्थान पर जाने के लिए, जहाँ वह कार्यभार छोड़ने के पश्चात् बसना चाहते हैं, यात्रा भत्ते की स्वीकृति के लिये लागू हैं ।

अवकाश एवं अवकाश नकदीकरण

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों को निम्न प्रकार के अवकाश एवं अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य होगी –

क– अवकाश –

(1) सेवा के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर वर्ष या उसके किसी भाग के लिये पन्द्रह दिन की दर पर उपार्जित अवकाश ।

(2) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में बीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर या निजी कार्यकलाप पर अर्द्ध वेतन अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश के लिये अवकाश वेतन, उपार्जित अवकाश के दौरान अनुमन्य अवकाश

मुख्यालय पर हो बैठकों में भाग लेने बाहर से आने की दशा यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता/ प्रासंगिक व्यय (इन्सीडेन्टल चार्जेज) उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा जैसी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 एवं सुसंगत आदेशों में सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में विहित की गयी हों ।

सरकारी कर्मचारियों की भाँति अवकाश अनुमन्य होगा ।

	वेतन के आधे के बराबर होगा । (3) महानुभाव के विवेक पर अर्द्ध वेतन पर अवकाश को पूर्ण वेतन के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते यह चिकित्सा आधार **पर लिया गया हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो ।** (4) किसी एक पदावधि में वेतन और भत्तों के बिना एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक असाधारण अवकाश । ख– अवकाश नकदीकरण –	
	कार्यालय की समाप्ति पर अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष या सदस्य अपने खाते में जमा उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने के हकदार होंगे बशर्ते कि नकदीकरण **कराये गये अवकाश की अवधि और कोई नकदीकरण अवकाश, जिसके लिये वह अपनी** नियुक्ति के पूर्व हकदार थे, मिलाकर सरकारी अधिकारियों के लिये लागू सीमा से अधिक नहीं होगी ।	कोई अवकाश नकदीक अनुमन्य नहीं होगा ।
अन्य प्रतिकर भत्ते	इस सामान्य शर्त के अधीन रहते हुए कि प्रतिकर भत्ते की धनराशि को इस प्रकार विनियमित किया जाय कि भत्ता, प्राप्तकर्ता के लिये कुल मिलाकर लाभ का स्रोत न बने, सरकार किसी ऐसी शर्त के अधीन, जो वह लगाना उपयुक्त समझे, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों को कोई प्रतिकर भत्ता स्वीकृत कर सकेगी और उसकी धनराशि निश्चित कर सकेगी ।	कोई अन्य प्रतिकर भत अनुमन्य नहीं होंगे ।
टेलीफोन की सुविधा	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रदेश सरकार के अधीन समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों पर तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।	गैर सरकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को टेलीफोन की सुविधा कार्यालय तथा आवास, दोनों स्थानों पर प्रति टेलीफोन अधिकतम रुपये 25,000/– वार्षिक । सदस्यों को टेलीफोन सुविधा केवल आवास पर अधिकतम रुपये 15,000/– वार्षिक ।
वैयक्तिक स्टाफ की सुविधा	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रदेश सरकार के अधीन समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले	गैर सरकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को प्रदेश सरकार

	अधिकारियों पर तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।	के अधीन समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के समान वैयक्तिक स्टाफ की सुविधा ।
चिकित्सा सुविधा	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रदेश सरकार के अधीन समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों पर तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।	गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को प्रदेश सरकार के अधीन समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों के समान चिकित्सा सुविधा ।
अन्य विषय	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रदेश सरकार के अधीन समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों पर तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।	उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

2– गैर सरकारी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों में से उन्हीं महानुभावों को नियत वेतन/मानदेय उपरोक्त सुविधायें अनुमन्य होंगी जिनके संबंध में शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से आदेश जारी किये जांय ।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित विभिन्न निगमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त महानुभावों को मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य किये जाने के संबंध में ऊपर संदर्भित शासनादेश दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 के अन्तर्गत जारी शासनादेशों के क्रम में उपरोक्तानुसार संशोधित आदेश तत्काल जारी करने की कार्यवाही की जाय ।

भवदीय,

(शेखर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या : बी–1–4457 (1)/ दस–2007–16/97, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. स्टॉफ आफिसर, मंत्रि–मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।
7. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(आर.के.वर्मा)
विशेष सचिव, वित्त ।